कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/स्थानान्तरण/21 दिनांकः 29.09.2021 के द्वारा महावीर प्रसाद व्याख्याता भौतिक विज्ञान का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबडी (हनुमानगढ़) से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौराऊ (जालोर) किया गया था। महावीर प्रसाद ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4836/2021 महावीर प्रसाद बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की। उक्त अपील में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2021 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नियमानुसार तीन रिक्त स्थानों में से किसी एक स्थान पर पदस्थापन के संबंध में आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अपीलार्थी को सूचित करने के निर्देश प्रदान किए है तथा आदेशित किया है कि उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2021 का कियान्वयन अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहा वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित होने एवं वृद्ध माता व पिता जो हार्ट की बीमारी से पीड़ित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि डाबड़ी हनुमानगढ़ (यथावत), श्री चनानी राबाउमावि सिधमुख चूरू अथवा राउमावि ढिगारला चूरू में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर मनन व विचार किया गया। अपीलार्थी का पदस्थापन छात्रहित/राज्यहित में किया गया था न कि किसी द्वेषतावश। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी भी लोकसेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकतानुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्रहित/राज्यहित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं भी पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। अतः पदस्थापन आदेश से किसी प्रकार से सेवानियमों का उल्लघंन नहीं पाया गया। AIR 1993 SC 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस के प्रकरण में समंजन (Accommodation) के बारे में निम्नानुसार अवधारित किया गया हैः– "If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the court merely because the transfer orders were passed on the request of the employee concerned"

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्लयू.एल.सी. 2007 (2)276 में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the state wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve violation of service Rule."

उच्चतम न्यायालय के शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य के प्रकरण तथा पंजाब राज्य जोगेन्द्र सिंह के प्रकरण एवं राजस्थान उच्च न्यायालय भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान में प्रदत्त निर्णयों के तहत प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख के आधार पर अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है तथा उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है और आलोच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक वैध आदेश है। इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/स्थानान्तरण/21 दिनांक 29.09.2021 द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता प्रदान किया जा चुका है।

उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है ।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/अपील/4836/2021/37 दिनांकः 05/04/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 संयुक्त विधि परामर्शी (विधि–प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
4. संबंधित प्रधानाचार्य।
5. संबंधित कार्मिक।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department